न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 31/2025

देवीलाल (फोत)

1. गीता देवी पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान
2. विजयपाल पुत्र देवीलाल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. पार्वती पुत्री देवीलाल पत्नी विकास कुमार जाति जाट साकिन भैरूपुरा सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घेरूराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. साहबराम पुत्र घेरूराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी — प्रार्थीगण
2. श्री जसपाल सिंह दहिया — अप्रार्थी 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 26/9/2025

प्रकरण मा. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी देवी लाल के फौत होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाद स्वीकार होने बर देवीलाल के विधिक वारीसान को प्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है।

मूल प्रार्थना पत्र धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृत बाबत के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता सं. 46/43 के प.नं. 35/255 (13) किला नं. 16, 17, 21 ता 25 की 1.771 हैक. नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 21 जे[illegible] 35/256 (44) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 10 की 2.277 हेक, खातेदारी भूमि [illegible] रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि [illegible] के खाता सं. 10/9 के प.नं. 35/255 (13) किला नं. 1 ता[illegible] खातेदारी भूमि दर्ज राज[illegible] वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता सं. 125/119 के प.नं. 34/255 (12) किला नं. 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 3.036 हैक. नहरी खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 126 /120 के प.नं. 35/255 (13) किला नं. 20 की 0.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

253 हैक., प.नं. 34/256 (14) किला नं. 3, 4, 7 की 0.759 हैक.. कुल 1.012 हैक. नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के नाम चक 16 एमओडी के प.नं. 35/255 (13) किला नं. 16, 17, 21 ता 25 की 1.771 हैक. नहरी व चक 21 जेआरके के प.नं. 35/256 (44) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 10 की 2.277 हैक. नहरी कृषि भूमि दोनो चको की कृषि भूमि चिपती कृषि भूमि है। यह कि प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2, 3 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई सरकारी एवं गैर सरकारी रास्ता नही है।

यह कि प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं.1 के नाम प.नं. 35/255 के किला नं. 1, 10, 11 व अप्रार्थी सं. 2 के नाम वर्णित प.नं. 35/255 किला नं. 20 प्रत्येक में 0.013 – 0.013 हैक. यानी 87, फीट का उपयोग उपभोग कर रहा है। प.नं. 35/255 के किला नं. 1, 10, 11, 20 में मौका चालू रास्ता पर 0.013 – 0.013 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर दक्षिण लम्बा रास्ता मौका पर चालू है। जो पिछले 20 वर्षो से घरू बंटवारा अनुसार चालू है। प.नं. 35/255 के किला नं. 1, 10, 11 में चालू रास्ता की एवज में अप्रार्थी सं. 1, 2 को कृषि भूमि बंटवारा के समय से ही छोड़ रखी है। प.नं. 35/255 के किला नं. 20 में 0.015 हेक. चालू रास्ता की एवज में अप्रार्थी सं.2 को किला नं. 21 में किला नं. 20 के चिपते ही 0.013 हैक. भूमि कृषि भूमि छोड़ रखी है। असल फोटो सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि उक्त प्रशनगत रास्ता स्वीकृत नही है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई भी रास्ता नही है। प्रशनगत रास्ता सुविधाजनक व नजदीक है। राजस्व अभिलेख में यह रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण प्रार्थी को काफी असुविधा हो रही है। इसलिये प्रार्थी इस रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। रास्ता में आई भूमि के बदले में उतनी भूमि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे से अप्रार्थी सं. 1, 2 को देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 16 एमओडी प.नं. 35/255 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व अप्रार्थी सं.2 के नाम वर्णित प.नं. 35/255 (13) किला नं. 20 प्रत्येक में 0.013 – 0.013 हैक. यानी 8¼ फीट चालू रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर दक्षिण लम्बा स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई के बाद तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30.09.2021 को बाद निर्णय आदेश पारित किया गया कि –अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 16 एमओडी प. नं. 35/255 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व अप्रार्थी सं. 2 के नाम प.नं. 35/255 (13) किला नं. 20 प्रत्येक में 0.013–0.013 है. चालू रास्ता बजानिव पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 साहब राम द्वारा अपील मा. राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को अपील दायर की गई जिसपर मा. न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.11.21 को अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर चक 16 एमओडी प. [illegible] (13) के किला नं. 1, 10, 11 यथावत रखते हुए प. नं. 35/255 के किला नं. 20 में [illegible] दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा स्वीकृत रास्ते की हद तक निरस्त कर[illegible] उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व 0.013 है० व पूर्वी दिशा में उत्त[illegible] में स्वीकृत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रार्थी देवीलाल द्वारा मा. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में मा. राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील/निगरानी संख्या टीए 5645/2021, 366/2022 दायर की गई। मा. न्यायालय निबंधक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.25 के द्वारा प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये गये है कि वह स्वयं मौका निरीक्षण कर

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नंबर 20 में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रास्ता ट्रेक्टर, ट्रोली, वाहन आदि के आवागमन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, की जांच कर प्रकरण का निस्तारण करें तथा विवादित आराजी के पक्षकार आपस में भाई है ऐसी स्थिति में स्वीकृत रास्ते की भूमि के बदले अन्य भूमि प्रतिकर के बदले में दिये जाने के विकल्प पर भी विचार करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 11.09.25 को हमारे स्वयम् द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका निरिक्षण किया गया। मौका पर चक 16 एमओडी के प.न. 35/255 पर मौके पर किला न. 20 के उत्तरी दिशा में पुर्व से पश्चिम व फिर पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण रास्ता जो उपयोग में लिया जा रहा है। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ट्रेकटर–ट्राली हेतु मा. राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा किला न. 20 में स्वीकृत रास्ता आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि किला न. 20 हेतु मौका देख कर निर्णय किया जाना उचित है।

बहस पर मनन किया गया। फर्द मौका का निरिक्षण किया गया। चक 16 एमओडी के प.न. 35/255 किला नंबर 20 में स्वीकृत रास्ता वर्तमान में चालू है परन्तु ट्रेक्टर, ट्रोली, वाहन आदि के आवागमन हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होता व अधिक लम्बी दूरी का है जो किला न. 20 के दो दिशा से होकर गुजरता है जो कि अधिक लम्बी दूरी को होने के कारण उसके स्थान पर किला न. 20 में 0.013 है0 पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा स्वीकृत किया जाना ही उचित प्रतीत होता है इस लिए चक 16 एमओडी प. नं. 35/255 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व अप्रार्थी सं. 2 के नाम प.नं. 35/255 (13) किला नं. 20 प्रत्येक में 0.013–0.013 है. चालू रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को किला न. किला नं. 1, 10, 11 भूमि की डी. एल.सी. दर का दोगुना राशि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने इकबाल प्रार्थना पत्र में प्राप्त होना बताया है इस लिए चक 16 एमओडी प. नं. 35/255 (13) किला नं. 20 में 0.013 है. आई भूमि की एवज में डीएलसी की दूगनी राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर की राशि जमा करवाया जाकर प्रकरण में स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 26/9/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मितल आर.ए.एस.)
उपखण्ड … एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा